

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म०प्र०)
//ज्ञापन//

क्रमांक./...1139/(ई-कोर्ट)

दतिया,दिनांक 16 /05 /2025

प्रति,

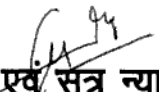
समस्त न्यायिक अधिकारीगण
जिला न्यायालय दतिया/तहसील न्यायालय सेवड़ा
तहसील न्यायालय भाण्डेर

विषय — प्रतिदिन न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान उपयोग होने वाली व्ही.सी. की इट्री सी.आई.एस. 4.0 सॉफ्टवेयर में साक्ष्य लेखक के माध्यम से कराये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि सभी न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को सूचित किया जाता है कि वह प्रतिदिन न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान उपयोग होने वाली व्ही.सी. की इट्री सी.आई.एस. 4.0 में प्रकरण की प्रौसिटिंग के दौरान आवश्यक रूप से करने हेतु अपने न्यायालय में पदस्थ साक्ष्य लेखक को आदेशित करे जिससे कि प्रत्येक माह कितने प्रकरणों में व्ही.सी.के माध्यम से कार्यवाही कि गई है उसकी जानकारी सी.आई.एस. 4.0 सॉफ्टवेयर में उपलब्ध रहे और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर उपलब्ध कराई जा सके ।

साथ ही आपको यह भी सूचित किया जाता है कि प्रत्येक माह सांख्यिकीय अनुभाग के द्वारा प्रत्येक न्यायालय से कितने प्रकरणों में व्ही.सी. के माध्यम से कार्यवाही की गई है उसकी जानकारी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को भेजने हेतु मांगी जाती है उक्त जानकारी भी मासिक पत्रों के साथ ही भेजने हेतु संबंधित रीडर को निर्देशित करे ।

उक्त संबंध में सूचना आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।


वाले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला दतिया, म.प्र.

पृ० क्रमांक./...1139/(ई-कोर्ट)

दतिया,दिनांक 16 /05 /2025

प्रभारी अधिकारी सांख्यिकीय अनुभाग दतिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।


वाले !- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला दतिया, म.प्र.